न्यायालय में :- श्रीमान, राजस्व मंडल महोदय,

ग्वालियर (म0प्र0)

67

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

CF- Rs. 20/-

R 985-I/2004

1. दद्दी सिंह
2. साहब सिंह | दोनों पिता चरका गोंड

दोनों निवासी अमलई तहसील-अनूपपुर जिला-अनूपपुर (म0प्र0)

----- आवेदक गण

बनाम

1. सुंदरी पत्नी स्व0 रामजियावन
2. दिनेश उर्फ ठाकुर
3. महेश
4. रजनीबाई | सभी पिता स्व0 रामजियावन
5. बाई जी पुत्री चरका गोंड

सभी निवासी अमलई पो0-पयारी तहसील-अनूपपुर जिला-अनूपपुर (म0प्र0)

---- अनावेदक गण

कार्यालय कलेक्टर, शहडोल
29 JUL 2004

निगरानी विरुद्ध निर्णय न्यायालय आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा रा0 प्र0 क्र0 133/निग0/2003-04 ~~~ दिनांक 24.4.04

निर्णय विरुद्ध कलेक्टर महोदय, जिला-अनूपपुर/ शहडोल (म.प्र.) रा0 प्र0 क्र0 106/02-03 एवं प्र0 क्र0 105/ निग0/02-03 आदेश दिनांक 11.11.2003

RL 1721
पोस्ट द्वारा आज प्राप्त

माननीय,

आवेदक गण निम्नलिखित कारणों से निम्न निगरानी प्रस्तुत कर प्रार्थी है :-

1. यह कि प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानूनन एवं वाकयातन गलत है।

2. यह कि प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 985 एक/2004 जिला –अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-6-2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण 133/निग0/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार फुनगा, जिला–अनूपपुर के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 17/अ-6/91–92 में पारित आदेश दिनांक 24.04.92 को इस आशय से आवेदन–पत्र अस्वीकार किया कि संहिता की धारा 110 तथा 32 के तहत एक बार नामांतरण हो चुका है। पुनः नामांतरण नहीं किया जा सकता । सिविल वाद प्रस्तुत करना चाहिये था । क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण प्रकरण खारिज किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर शहडोल के समक्ष प्रकरण क्रमांक 17/अ-6/91–92 में पारित आदेश दिनांक 24.04.92 स्वप्रेरणा में निगरानी में लेने हेतु संहिता की धारा 50 एवं 32 के तहत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया । न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को सुनने के उपरांत प्रकरण स्वप्रेरणा में चलने योग्य न होने से अपास्त किया गया । न्यायालय अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के यहॉ निगरानी पेश की गई । प्रकरण क्रमांक 133/निग0/2003–04 किया गया । यहॉ पर भी ठोस आधार	

के अभाव में पारित आदेश दिनांक 24.04.2004 को निगरानी निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया है कि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–अनूपपुर के समक्ष नायब तहसीलदार तहसील फुनगा, तहसील अनूपपुर के प्रकरण क्र0 17/अ–6/91–92 में पारित आदेश दिनांक 24.04.92 को स्वमेव निगरानी में लिये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया था, जो अमान्य किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि प्रश्नाधीन भूमि चरका गौंड के एकाकी मालिका व स्वामित्व की रही है । चरका गौंड आवेदकगण के पिता थे। रामजियावन, चरका गौंड का न तो वारिस उत्तराधिकारी था और ना ही किसी प्रकार की रिश्तेदारी थी । ऐसी स्थिति में रामजियावन के वारिसों को बंटवारा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था । गैर कानूनी तरीके से पारित आदेश के विरूद्ध प्रकरण को स्वयमेव निगरानी में लेने का पूर्ण अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को रहा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के विरूद्ध आदेश पारित करने की भूल की है जो निरस्तीय योग्य है । अतः निगरानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे।

4/ आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने गये एवं अधीनस्थ न्यायलयों के अभिलखों का अवलोकन किया गया । जिससे यह स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार फुनगा, जिला–अनूपपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ–6/91–92 में पारित आदेश दिनांक 24.04.92 से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नामांतरण आदेश पारित किया था, जो अंतिम स्वरूप होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के तहत

P.T.O.

अपीलीय योग्य था । आवेदकगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध समक्ष न्यायालय में अपील प्रस्तुत न कर तहसीलदार के समक्ष ही प्रकरण स्वमेव निगरानी हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था। संहिता की धारा 51 के अनुसार प्रकरण स्वमेव निगरानी में किसी व्यक्ति के आवेदन–पत्र पर लिये जाने का प्रावधान नहीं। इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का स्वमेव निगरानी आवेदन–पत्र निरस्त किया गया है । अपर कलेक्टर शहडोल के आदेश दिनांक 11.11.03 एवं आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 24.04.2004 में कोई त्रुटि प्रदर्शित नहीं होती । अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश उचित होने के कारण उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को यथावत रखते हुये निगरानी खारिज किया जाता है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य

P.T.O.